

# कार्यालय नगरपरिषद् हनुमानगढ़ - राजस्थान

क्रमांक :- 24352

दिनांक :- 01.02.2022

## एम्पावर्ड कमेटी बैठक

प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय एवं श्रीमान निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प. 8 (ग) ( ) नियम/डीएलवी/2021/68664-69454 दिनांक 27.09.2021 द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान -2021 में प्रकरणों के निस्तारण हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 49 की उपधारा (6) सपठित धारा 337 की उपधारा (1) व (2) के खण्ड (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अभियान अवधि के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 69ए, 71, 73, 118, 121, 171, 183, 189, 174, 194 (194 की उपधारा (7), के खण्ड (2) एवं उपधारा (12) को छोड़कर ), 202, 207, 242, 243, 244, 245, 254, 258, 259, 269, 282, 287, 288, 299 एवं 306 के अंतर्गत नगरपालिका मण्डल को प्रदत्त शक्तियां एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित की गई है।

अतः जारी अधिसूचना दिनांक 27.09.2021 एवम् नगरपरिषद् हनुमानगढ़ के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.8(भूमि) (PSKSA-2021)/2021/13593 दिनांक 01.10.2021 के अनुसार आज दिनांक 01.02.2022 को एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

- माननीय सभापति नगरपरिषद् हनुमानगढ़ - अध्यक्ष
- आयुक्त, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ - सदस्य सचिव
- अधिशायी अभियन्ता, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ - सदस्य
- सहायक नगर नियोजक, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ - सदस्य
- लेखाधिकारी/सहा. लेखाधिकारी, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ - विशेष आमंत्रित सदस्य
- विधिक सलाहकार, नगरपरिषद् हनुमानगढ़ - विशेष आमंत्रित सदस्य

कमेटी के समक्ष निम्न प्रकार से प्रकरण विचार एवं निर्णय हेतु रखे गये -

एजेण्डा नं. 01 :- खांचा भूमि आवंटन पर विचार विमर्श एवं निर्णय :- सदस्य सचिव द्वारा समिति को अवगत करवाया गया कि प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अंतर्गत श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महोदय एवं श्रीमान निदेशक एवं विशिष्ट सचिव महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प. 17(1)नवि/अभियान/2021/मं.मं.ज्ञा. दिनांक 28.09.2021 के द्वारा खांचा भूमि आवंटन की शक्तियां नगरीय निकाय स्तरीय एम्पावर्ड कमेटी को प्रत्यायोजित की गयी है। अभियान के अन्तर्गत 150 वर्गगज तक खांचा भूमि नियमानुसार आवंटन की जा सकती है। नगरपरिषद् द्वारा पत्रांक 13975 दिनांक 05.10.2021 के द्वारा खांचा भूमि के ऐसे प्रकरण जिनमें मालिकों द्वारा भूखण्डों पर निर्माण कर लिया गया है जो स्वतंत्र भूखण्ड की श्रेणी में नहीं आते हैं ऐसे प्रकरणों में खांचा भूमि आवंटन के संबंध में निदेशालय से मार्गदर्शन मांगा गया था जिस पर निदेशालय द्वारा अपने पत्र 23012 दिनांक 29.10.2021 के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के जारी मास्टर परिपत्र दिनांक 28.09.2021 के बिन्दू संख्या 23 में खांचा भूमि के दिये गये संशोधित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावे। खांचा भूमि के निम्न प्रकरण समिति के समक्ष निर्णय हेतु पेश है :-

| क्र. सं. | नाम / पिता/ पति का नाम             | सेक्टर नं०                        | भूखण्ड/ दुकान सं० | आवंटित की जाने वाली खांचा / अतिरिक्त भूमि का साईज | आवासीय / वाणिज्यिक |
|----------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | श्रीमती पुष्पावती/गोविन्द राम बंसल | इस्ट ऑफ दी ग्रेन गण्डी, हनुमानगढ़ | 45                | 4'-0"x40'-0"                                      | वाणिज्यिक          |
| 2        | शकुन्तला देवी पत्नी सुरेश          | सेक्टर नं० 8 हनुमानगढ़            | 78                | 6'-0"x40'-0"                                      | आवासीय             |

*(Handwritten signatures and marks)*

एजेण्डा नं. 05 :- मानचित्र अनुमोदन हेतु प्रकरण विचार विमर्श एवं निर्णय :-

प्रशासन शहरो के संग अभियान-2021 में मानचित्र अनुमोदन हेतु एम्पावर्ड कमेटी को अधिकृत किया गया है। एम्पावर्ड कमेटी के समक्ष निम्नलिखित प्रकरण प्रस्तुत किये गये हैं :-

| क्र. सं. | खातेदार का नाम व पता                                                                                                                                                                   | भूमि का विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | एसटीपी, बीकानेर/ जयपुर के पत्रांक व दिनांक | प्रयोजन                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1        | श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री गुरचरण लाल कुमार, श्री संजीव कुमार पुत्र श्री गुरचरण लाल कुमार जाति अरोडा निवासी 3-ए-6, मीरा मार्ग, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर                          | चक नं. 48 एनजीसी पत्थर नं. 128/263 मु. नं. 34 किला नं. 4 (0.253), 5 (0.253), 6 (0.253), 7 (0.253), 14 (0.253), 15 (0.253), 16 (0.253), 17 (0.253), 24 (0.253), 25 (0.253) व पत्थर नं. 128/264 मु.नं. 43 किला नं. 2/2 (0.051), 3 (0.215), 4 (0.253), 5 (0.253), 6 (0.253), 7 (0.181), 8/1(0.041), 14 (0.055), 15 (0.198), 16 (0.074) कुल 4.104 हैक्टर | 1916 दिनांक 17.12.2021                     | वाणिज्यिक                                         |
| 2        | श्री तुलसीराम-प्रहलाद सिंह-हेतराम-कान्हाराम-दौलत राम-लालचन्द पि. श्री चिमन लाल उर्फ चिमना राम                                                                                          | चक नं. 18 एचएमएच पत्थर नं. 128/275 मु.नं. 48 किला नं. 4/3/0.0193, 5/4/0.0482, 6/1/0.215, 7/0.253, 8/0.253, 13/0.253, 14/0.253, 15/1/0.215 कुल 1.5095 है                                                                                                                                                                                              | 1814 दिनांक 01.12.2021                     | आवासीय                                            |
| 3        | श्री श्यामसुन्दर पुत्र श्री बाबुराम, श्री जगनन्दन सिंह पुत्र श्री बाबुसिंह, श्री पुष्प जैन पुत्र श्री संजय कुमार जैन, श्री रविन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह निवासीयान हनुमानगढ़ | चक नं. 14 एचएमएच पत्थर नं. 140/275 मु.नं. 6 किला नं. 18 ता 23 व पत्थर नं. 140/276 मु.नं. 11 किला नं. 01/1 किला नं. 01/2 की कुल भूमि 1.171 हैक्टर यानि 190575 वर्गफीट यानि 17704.68 वर्गमीटर                                                                                                                                                          | 1952 दिनांक 03.01.2022                     | आवासीय                                            |
| 4        | श्री रामस्वरूप स्वामी पुत्र श्री बीरन्दलदास स्वामी बगैराह                                                                                                                              | चक नं. 18 एचएमएच पत्थर नं. 127/275 मु.नं. 49 किला नं. 6/1, 7, 12 ता 14, 15, 16, 17, 18, 19 कुल भूमि 1.855 हैक्टर यानि 199732.50 वर्गफुट                                                                                                                                                                                                              | 1999 दिनांक 11.01.2022                     | आवासीय                                            |
| 5        | श्री मनीराम पुत्र श्री रामूराम                                                                                                                                                         | चक नं. 16 एचएमएच पत्थर नं. 134/277 किला नं. 03 ता 8, 13 ता 19, 23 ता 25 कुल 3.833 हैक्टर                                                                                                                                                                                                                                                             | 1569 दिनांक 17.11.2021                     | इंडब्ल्यूएस/एलआईजी प्लाटो को रास्ते हेतु (आवासीय) |
| 6        | श्री मनीराम पुत्र श्री रामुराम                                                                                                                                                         | चक नं. 16 एचएमएच पत्थर नं. 134/277 किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 19/0.164, 23/0.202, 24/0.253 व 25/0.234 में कुल 3.889 हैक्टर                                                                                                                                                                                                                           | 1997 दिनांक 11.01.2022                     | इन्फॉर्मल सेक्टर प्लान                            |

निर्णय :- समिति द्वारा पत्रावली का अध्ययन किया गया एवं सर्व सहमति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त समस्त प्रकरण में एसटीपी बीकानेर से प्राप्त शर्तों के अधीन ले-आउट प्लान अनुमोदन किया जाता है। शर्तों की अनुपालना में प्रार्थी से शपथ-पत्र लिया जावे। उक्त योजना की नियमानुसार भू-राजस्व अधिनियम की धारा 90ए के अन्तर्गत कार्यवाही कर नियमानुसार शुल्क वसूल कर भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही की जावे।

एजेण्डा नं. 06 :- राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री चानणमल जाति ब्राम्हण निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन की भूमि चक 50 एनजीसी पत्थर नं 125/254 किला नं 10/0.037, 10/2/0.002 कुल 0.039 हैक्टर भूमि के नियमन की स्वीकृति के संबंध में विचार विमर्श एवं निर्णय :- सदस्य सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री चानणमल जाति ब्राम्हण निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन की भूमि चक 50 एनजीसी पत्थर नं 125/254 किला नं 10/0.037, 10/2/0.002 कुल 0.039 हैक्टर भूमि के आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की मांग की गई है। हनुमानगढ़ मास्टर प्लान 2016 में उक्त भूमि आवासीय क्षेत्र आरक्षित है। नगरपरिषद द्वारा प्रकरण में आपत्ति सूचना क्रमांक 3816-3118 दिनांक 27.08.2013 को जारी की गयी थी जो दैनिक समाचार पत्र दैनिक तेज एवं सीमा

*Handwritten signature and date 12/12/21*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature and date 12/12/21*

राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.17(1)नवि/अभियान/2021 दिनांक 31.12.2021 के अनुसार कार्यवाही कर विनियम में अन्य भूखण्ड आवंटित किए जाने हेतु आवेदन किया गया है।

परिषद रिकार्ड अनुसार हनुमानगढ़ टाउन क्षेत्र में कोई आवासीय मकान उपलब्ध नहीं है एवं हनुमानगढ़ जंक्शन क्षेत्र में विकसित की जा रही आवासीय योजना, नजदीक उपकार्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में रिक्त भूखण्ड संख्या 11, 12, 15, 16 प्रत्येक साईज 25' गुणा 50' में से वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने व डी.एल.सी. दर से पूर्व के आवंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल की अन्तर राशि जमा करवाते हुए श्री अहमद खां पुत्र श्री खुदाबक्श के वारिसानों को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 31.12.2021 की अनुपालना में भूखण्ड संख्या 108 साईज 20' गुणा 40' के बदले में भूखण्ड दिये जाने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचार विमर्श एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से श्री अहमद खां पुत्र श्री खुदाबक्श के वारिसानों को पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या 108 साईज 20' गुणा 40' के बदले में हनुमानगढ़ जंक्शन क्षेत्र में विकसित की जा रही आवासीय योजना, नजदीक उपकार्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में रिक्त भूखण्ड संख्या 12 साईज 25' गुणा 50' वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने व डी.एल.सी. दर से पूर्व के आवंटित भूखण्ड के क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल की अन्तर राशि जमा करवाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

एजेण्डा नं. 17 नीलामी की 3/4 राशि व आवंटन राशि जमा की पुष्टि बाबत विचार विमर्श एवं निर्णय :- सदस्य सचिव द्वारा कमेटी को अवगत करवाया कि नगरपरिषद द्वारा निम्न प्रकरण में नीलामी की 3/4 राशि एवं आवंटित भूखण्डों की राशि जमा करवाई गई है जिसकी पुष्टि हेतु प्रकरण निम्न प्रकार है :-

| क्र.सं. | आवेदक का नाम           | भूखण्ड का विवरण                                                 |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.      | श्री मोहन लाल / बुधराम | आवासीय योजना, शिव मंदिर के पास, भूखण्ड सं. 48, हनुमानगढ़ जंक्शन |

निर्णय :- कमेटी द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि जमा करवाई गई राशि की पुष्टि की जाती है।

एजेण्डा नं. 18 अपंजीकृत लीज डीड के उत्तरोत्तर विक्रय के प्रकरण में अन्तिम क्रेता के पक्ष में लीज डीड जारी करने बाबत विचार विमर्श एवं निर्णय :- सदस्य सचिव द्वारा कमेटी को अवगत करवाया कि निम्नलिखित प्रकरण में प्रश्नगत भूखण्ड की अपंजीकृत लीज डीड के आधार पर उत्तरोत्तर विक्रय किया गया। भूखण्ड के अन्तिम क्रेता द्वारा स्वयं के पक्ष में नवीन पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया गया है

| क्र.सं. | आवेदक का नाम                  | भूखण्ड का विवरण                                                |
|---------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.      | मोहनसिंह मान पुत्र जरनैल सिंह | आवासीय प्लॉट सं. 267, साईज 30गुणा60, सै0नं0 12/एल, हनु0 जंक्शन |

निर्णय :- कमेटी द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.02.2020 के बिन्दु संख्या 02 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए अन्तिम क्रेता के पक्ष में नवीन पट्टा जारी किया जावे।



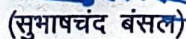
(सुनील कुमार)  
सहायक नगर नियोजक  
एवं सदस्य  
नगरपरिषद हनुमानगढ़



(अमित माहेश्वरी)  
विधि सलाहकार  
एवं विशेष आमंत्रित सदस्य  
नगरपरिषद हनुमानगढ़

  
(मालचंद शर्मा)  
लेखाधिकारी

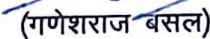
एवं विशेष आमंत्रित सदस्य  
नगरपरिषद हनुमानगढ़



(सुभाषचंद बंसल)  
अधिशायी अभियन्ता एवं सदस्य  
नगरपरिषद हनुमानगढ़



(पूजा शर्मा)  
आयुक्त एवं सदस्य सचिव  
नगरपरिषद हनुमानगढ़



(गणेशराज बंसल)  
सभापति एवं अध्यक्ष  
नगरपरिषद हनुमानगढ़

## कार्यालय नगरपरिषद हनुमानगढ़ – राजस्थान

क्रमांक:- एफ.8(भूमि) ( ) 2022/

दिनांक .....

### -: अधिवास प्रमाण पत्र :-

नगरपरिषद हनुमानगढ़ द्वारा चक नं० 18 एचएमएच पत्थर नं० 127/275 मुरब्बा नं० 49 किला नं० 6/1 (0.228), 7 (0.253), 12ता14 प्रत्येक 0.253, 15 (0.228), 16 (0.090), 17 (0.099), 18 (0.099), 19 (0.099) कुल भूमि 1.855 हैक्टेयर 199732.50 वर्गफुट यानि 18555.42 वर्गमीटर कृषि भूमि में श्रीमान प्राधिकृत अधिकारी / आयुक्त नगरपरिषद हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक 24000-24003 दिनांक 27.01.2022 के द्वारा 90ए की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। नक्शे का तकनीकी अनुमोदन श्रीमान वरिष्ठ नगर नियोजक बीकानेर जोन बीकानेर के पत्रांक 1999 दिनांक 11.02.2022 द्वारा स्वीकृत है। उक्त भूमि पर कोलोनाईजर / खातेदार द्वारा आन्तरिक विकास कार्य सड़क, बिजली, पानी, पार्क आदि प्रगति पर है तथा कोलोनाईजर द्वारा लिखित अन्डर टैकिंग लेते हुए यह कथन किया गया है कि नियत समयवधि में उक्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने तक उनके प्लॉट संख्या जिसकी सूची निम्न है :-

| क्र.स. | भूखण्ड संख्या | साईज      |
|--------|---------------|-----------|
| 1      | ए-45          | 25x50     |
| 2      | ए-46          | 25x50     |
| 3      | ए-54          | 25x45     |
| 4      | ए-55          | 25x45     |
| 5      | ए-57          | 25x45     |
| 6      | ए-58          | 25x43-6   |
| 7      | ए-59          | 25x43-6   |
| 8      | ए-60          | 25x43-6   |
| 9      | ए-61          | 26-3x43-6 |
| 10     | ए-62          | 31x43-6   |
| 11     | ए-63          | 25x50     |
| 12     | ए-64          | 24x50     |

इस प्रकार कुल 12 आवासीय भूखण्ड परिषद के पास रहन (प्लज) रहेंगे। नियत अवधि में आन्तरिक विकास कार्य पूरा न होने की दशा में रहन शुदा प्लॉट परिषद द्वारा विक्रय करके आन्तरिक विकास कार्य करवाने बाबत कोलोनाईजर/खातेदार ने स्वयं को पाबंद किया है।

अतः उक्त तथ्यो अन्डरटैकिंग व समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्न शर्तों के साथ अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

- स्वीकृत ले -आउट प्लान के अनुसार समस्त आन्तरिक विकास कार्य सड़क, विद्युतीकरण, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, सीवरेज, ड्रेनेज, सुविद्या क्षेत्र की चार दिवारी का निर्माण आदि स्वयं कोलोनाईजर/खातेदार द्वारा स्वयं के खर्चे पर करवाये जावेगे और इस संबंध में परिषद किसी प्रकार का कार्य एवं व्यय करवाने हेतु जिम्मेवार नहीं होगी।
- कोलोनाईजर /खातेदार द्वारा स्वयं के खर्चे पर उपरोक्तानुसार करवाये जाने वाले आन्तरिक विकास कार्य का एक सार्वजनिक नोटिस अपने कार्यालय के बाहर एवं कोलोनी के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शित किया जावेगा और इस आशय की सूचना दो स्थानीय सामाचार पत्रों में स्वयं के व्यय से प्रकाशित करवायी जावेगी।
- समस्त विकास कार्य पूर्ण होने तक स्वीकृत ले आउट प्लान के अनुसार भूखण्ड संख्या ए-45, ए-46, प्रत्येक साईज 25'गुणा50'फुट, भूखण्ड संख्या ए-54 ,ए-55, व 57 प्रत्येक साईज 25गुणा45, भूखण्ड संख्या ए-58, से ए-60 साईज 25गुणा43.6 फुट, भूखण्ड संख्या ए-61 साईज 26.3गुणा43.6 फुट भूखण्ड संख्या ए-62 साईज 31गुणा43.6 फुट, भूखण्ड संख्या ए-63 साईज 25गुणा50, भूखण्ड संख्या

ए-64 साईज 24गुणा50 फुट कुल 12 भूखण्ड नगरपरिषद के पास रहन रहेगे। कोलोनाईजर /खातेदार द्वारा ज्यों-ज्यों विकास कार्य पूर्ण करवाये जावेगे, परिषद द्वारा मौका निरीक्षण करवाकर विकास कार्यो के प्रमाणिकरण अनुसार रहन शुदा प्लाट त्यों-त्यों रहन मुक्त किये जावेगें। नियत समयावधि में आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण नहीं होने की दशा में परिषद द्वारा रहन शुदा प्लाट विक्रय किये जाकर आन्तरिक विकास कार्य करवाये जा सकें।

4. संबंधित खातेदार/ खातेदारो पर 100/- रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर अण्डरटेकिंग के आधार पर कोलोनाईजर द्वारा बंधक रखे गये भूखण्डो के विरुद्ध बेचान आदि करने पर नगरपरिषद हनुमानगढ़ द्वारा कठोर कार्यवाही की जावेगी।
5. रहन रखे गये भूखण्डो के अलावा अन्य भूखण्डो को स्वीकृत प्लान के अनुसार बेचान करें तथा आवंटियों को निर्धारित प्रारूप में आवंटन पत्र जारी कर नियमन हेतु सूची 50 रुपये के स्टाम्प पर कार्यालय में प्रस्तुत की जावे।

क्रमांक:- एफ.8(भूमि) ( ) 2020/1998-1999  
प्रतिलिपि :-

1. खातेदार/ कोलोनाईजर्स।
2. भूमि शाखा, नगरपरिषद हनुमानगढ़ को रहन रखे गये भूखण्डो का नियमन नही करने बाबत सूचनार्थ प्रेषित है।

आयुक्त  
नगरपरिषद हनुमानगढ़

दिनांक 20/04/22

ये  
आयुक्त  
नगरपरिषद हनुमानगढ़

## कार्यालय नगरपरिषद हनुमानगढ़ – राजस्थान

क्रमांक : एफ.8(भूमि)( ) 2024/11952

दिनांक 08/02/24

श्री रामस्वरूप स्वामी पुत्र बीरबलदास स्वामी,  
कृष्णलाल पुत्र साहबराम,  
रामावतार पुत्र साहबराम,  
मनीष कुमार पुत्र रामस्वरूप,  
मोहनी देवी पत्नी श्री रामस्वरूप  
निवासीयान हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़।

विषय :- आन्तरिक विकास पेटे रहन रखे गये भूखण्डों का रहन मुक्त करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन पत्र दिनांक 01.2.2016 के संबंध में चक नं० चक नं० 18 एचएमएच पत्थर नं० 127/275 मुख्बा नं० 49 किला नं० 6/1 (0.228), 7 (0.253), 12ता14 प्रत्येक 0.253, 15 (0.228), 16 (0.090), 17 (0.099), 18 (0.099), 19 (0.099) कुल भूमि 1.855 हैक्टेयर 199732.50 वर्गफुट यानि 18555.42 वर्गमीटर भूमि में आवासीय कालोनी जो कि न्यु अम्बिका सिटी एक्शटेशन के नाम से विकसित की जा रही है। उक्त स्वीकृत प्लान में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1997 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा अधिवास प्रमाण जारी किया गया था। उक्त आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या ए-45, ए-46, ए-54, ए-55, ए-57, ए-58, ए-59, ए-60, ए-61, ए-62, ए-63, ए-64 कुल 12 भूखण्ड आन्तरिक विकास कार्यो पेटे रहन किये गये थे। नगरपरिषद कनिष्ठ अभियंता की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर रहन किये गये भूखण्ड संख्या ए-45, ए-46, ए-54, ए-55, ए-57, ए-58, ए-59, ए-60, ए-61, ए-62, ए-63, ए-64 कुल 12 भूखण्डों को रहन मुक्त किया जाता है।

  
आयुक्त  
नगरपरिषद, हनुमानगढ़

MASTER PLAN ROAD 100'-0" WIDE  
OVER REVENUE ROAD 82'-6" WIDE

TO MAIN ROAD

AGRICULTURE LAND

ROAD 40'-0" WIDE

LAND USE AND AREA  
ANALYSIS CHECKED

### Area Analysis

| Particular      | Area      | %      |
|-----------------|-----------|--------|
| Residential     | 111112.88 | 55.63  |
| Informal Sector | 4000.00   | 02.00  |
| Facility        | 9977.50   | 05.00  |
| Park            | 9989.63   | 05.00  |
| Roads & Path    | 64652.49  | 32.37  |
| Total           | 199732.50 | 100.00 |

कनिष्ठ अधियन्त  
नगर परिषद् हनुमान

सहायक नगर नियोजक  
नगरपरिषद हनुमानगढ़

मायुस्त  
नगरपालिका हनुमानगढ

- [illegible]

"A to F"  
LAYOUT PLANNING NO. 1999 DATED 11/07/22  
APPROVED WITH CONDITIONS VIDE THIS  
OFFICE LETTER NO. 1999 DATED 11/07/22

सहायक जगह नियोजक  
कार्या, वरिष्ठ नगर नियोजक  
बीकानेर जोज, बीकानेर

ब्रिटिश नगर नियोजक  
बीकानेर जोन, बीकानेर

OWNER'S LAND :- 199732.50 SQFT OR 1.855 HECTARE.

LAY-OUT PLAN  
SCALE:- 1"=50'

**OWNER'S NAME :-**

MR. RAMSWAROOP S/O MR. BIRBALDASS,  
MR. KRISHAN LAL S/O MR. SAHAB RAM,  
MR. RAMAVTAR S/O MR. SAHAB RAM,  
MR. MANISH KUMAR S/O MR. RAMSWAROOP,  
MRS. MOHANI DEVI W/O MR. RAMSWAROOP,

LAY-OUT PLAN OF RESIDENTIAL COLONY "NEW AMBIKA CITY" LAND AT CHAK NO. 18 H.M.H.,MURBBA NO.49, STONE NO. 127/275,KILA NO.6/1(0.228),7(0.253),12(0.253),13(0.253),14(0.253),15(0.228),16(0.090), 17(0.099),18(0.099),19(0.099) TOTAL= 1.855 HECTARE AT HANUMANGARH TOWN..DISTT:- HANUMANGARH (RAJ.)